

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंशि.) श्रीगंगानगर

## आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता—अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम 1993 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प. 18 (1) शिक्षा - 5/2001 दिनांक 25.09.01 एवं पत्रांक प. 15 (21) प्रांशि./2001 दिनांक 18.01.02 के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, रापथ पत्र के आधार पर सत्र 2002-2003 से नाम के समुख अंकित स्तर एवं माध्यम की निम्न शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता नियमों एवं विभागीय निर्देशों की पालना न करने पर मान्यता कभी भी निरस्त की जा सकती है।

क्र.सं	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर	माध्यम
--------	---------------------	--------------	--------

1- **गोलडन प्राइवेट विडियो स्कूल, गवतिव्हुरु श्रीगंगानगर।** 20 प्राप्त स्तर अंग्रेजी बाल्यकालीन

शर्तें :-

- कक्षा – कक्षा के अनुरूप प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जावें।
- मान्यता नियम 1993 के परिणाम्य-2 से वर्णित सभी शर्तों को पूर्ते की जावे।
- विद्यालय पूर्णतया सुरक्षित भवन में संचालित किया जावे।
- कक्षा 1 से 5 तक 75 छात्र तथा कक्षा 6 से 8 तक 45 छात्र होने आवश्यक हैं।
- उप्रस्तर के विद्यालयों में शाशिक्षक य च.श्री. कर्मचारी नियुक्त किये जावें।
- संस्था को जिस स्थान हेतु मान्यता दी गई है, उसी स्थान पर ही संचालित की जावे, अन्यत्र कोई शाखा आदि न खोली जावे।
- संस्था में एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें, जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित हों, ही लागू की जावें।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ऐसी ई.आर.टी. पाठ्यक्रम ही लागू किया जाएगा।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रारंशि.) श्रीगंगानगर।

क्रमांक : जिशिअ/गंगा/प्रारं/सामान्य/2002/ ६०८६

दिनांक 21.5.02

प्रतिलिपि :-

- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, गवतिव्हुरु
- व्यवस्थापक गोलडन प्राइवेट विडियो स्कूल, गवतिव्हुरु श्रीगंगानगर।

  
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
(प्रारंशि.) श्रीगंगानगर।